



राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर



जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

Telex : 0141-2993119 Email ID : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website : www.irgyurban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.56(क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2023-24/1244-1263

दिनांक : 27/02/2024

जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक,

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY),

जिला-केकड़ी, टोंक, हनुमानगढ़, सवाईमाधोपुर, गंगापूर सिटी, करौली, अलवर, खैरथल-तिजारा, दूदू, दौसा, जयपुर/जयपुर-ग्रामीण, जैसलमेर, जोधपुर/जोधपुर-ग्रामीण, फलोदी, बारां, बूंदी, कोटा, जालौर, झुंझुनू, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं सलूम्बर।

विषय:-वर्ष 2023-24 में नवसृजित 42 नगरीय निकायों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्यों के कियान्वयन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय अधिसूचना (संलग्न) के अनुसार वर्ष 2023-24 में ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित 42 नगरीय निकायों (नवसृजित) में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्य प्रारम्भ किये जाने हैं, जिनमें वर्तमान में नियमित पदों की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

नियमित कार्मिकों के अभाव में उक्त नवसृजित नगरीय निकायों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्य सम्पादन हेतु निम्नलिखित सूची अनुसार निकटतम नगरीय निकायों को प्रभारी नगरीय निकाय निर्धारित किया जाता है:-

क्र. सं.	सम्भाग	जिला	नवसृजित नगरीय निकाय	कार्यों के सम्पादन हेतु निर्धारित प्रभारी नगरीय निकाय
1	अजमेर	केकड़ी	नगर पालिका, सावर	नगर परिषद, केकड़ी
2	अजमेर	टोंक	नगर पालिका, दूनी	नगर पालिका, देवली
3	बीकानेर	हनुमानगढ़	नगर पालिका, गोलूवाला	नगर पालिका, पीलीबंगा
4	भरतपुर	सवाईमाधोपुर	नगर पालिका, खिरनी	नगर पालिका, बाँली
5	भरतपुर	गंगापूर सिटी	नगर पालिका, वजिरपुर	नगर परिषद, गंगापूरसिटी
6	भरतपुर	करौली	नगर पालिका, मंडरायल	नगर परिषद, करौली
7	जयपुर	अलवर	नगर पालिका, कठूमर	नगर पालिका, खैरली
8	जयपुर	अलवर	नगर पालिका, मुबारिकपुर	नगर निगम, अलवर
9	जयपुर	अलवर	नगर पालिका, रैणी	नगर पालिका, राजगढ़ (अलवर)
10	जयपुर	अलवर	नगर पालिका, नौगांव	नगर पालिका, रामगढ़ (अलवर)
11	जयपुर	अलवर	नगर पालिका, मालाखेड़ा	नगर निगम, अलवर
12	जयपुर	खैरथल-तिजारा	नगर पालिका, मुण्डावर	नगर परिषद, खैरथल
13	जयपुर	दूदू	नगर पालिका, फागी	नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
14	जयपुर	दूदू	नगर परिषद, दूदू	नगर पालिका, नारायणा
15	जयपुर	दौसा	नगर पालिका, बसवा	नगर परिषद, बांदीकुई
16	जयपुर	दौसा	नगर पालिका, सिकराय	नगर परिषद, दौसा
17	जयपुर	दौसा	नगर पालिका, भाण्डारेज	नगर परिषद, दौसा
18	जयपुर	दौसा	नगर पालिका, रामगढ़-पचवारा	नगर पालिका, लालसोट

क्र. सं.	सम्भाग	जिला	नवसृजित नगरीय निकाय	कार्यों के सम्पादन हेतु निर्धारित प्रभारी नगरीय निकाय
19	जयपुर	दौसा	नगर पालिका, लवाण	नगर परिषद्, दौसा
20	जयपुर	ग्रामीण-जयपुर	नगर पालिका, वाटिका	नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
21	जोधपुर	जैसलमेर	नगर पालिका, रामदेवरा	नगर पालिका, पोंकरण
22	जोधपुर	ग्रामीण-जोधपुर	नगर पालिका, शेरगढ़	नगर पालिका, बालेसर-सत्ता
23	जोधपुर	फलोदी	नगर पालिका, बाप	नगर परिषद्, फलोदी
24	कोटा	बारां	नगर पालिका, केलवाड़ा	नगर परिषद्, बारां
25	कोटा	बारां	नगर पालिका, सीसवाली	नगर पालिका, अन्ता
26	कोटा	बूंदी	नगर पालिका, हिण्डोली	नगर परिषद्, बूंदी
27	कोटा	बूंदी	नगर पालिका, देई	नगर पालिका, नैनवा
28	कोटा	कोटा	नगर पालिका, सुकेत	नगर पालिका, रामगंजमंडी
29	पाली	जालोर	नगर पालिका, आहोर	नगर परिषद्, जालोर
30	सीकर	झुंझुनू	नगर पालिका, पौख	नगर पालिका, गुढ़ागौड़जी
31	सीकर	झुंझुनू	नगर पालिका, सिंघाना	नगर पालिका, चिड़ावा
32	उदयपुर	उदयपुर	नगर पालिका, मावली	नगर पालिका, फतेहनगर-सनवाड़
33	उदयपुर	उदयपुर	नगर पालिका, वल्लभनगर	नगर पालिका, भीण्डर
34	उदयपुर	उदयपुर	नगर पालिका, खेरवाड़ा	नगर पालिका, ऋषभदेव
35	उदयपुर	राजसमंद	नगर पालिका, भीम	नगर पालिका, देवगढ़
36	उदयपुर	भीलवाड़ा	नगर पालिका, रायपुर	नगर पालिका, गंगापुर (भीलवाड़ा)
37	उदयपुर	चित्तौड़गढ़	नगर पालिका, आकोला	नगर पालिका, कपासन
38	उदयपुर	सलूमबर	महाराणा प्रताप नगर पालिका, सराड़ा-चावण्ड	नगर परिषद्, सलूमबर
39	बांसवाड़ा	डूंगरपुर	नगर पालिका, आसपुर	नगर पालिका, सागवाड़ा
40	बांसवाड़ा	डूंगरपुर	नगर पालिका, सिमलवाड़ा	नगर परिषद्, डूंगरपुर
41	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	नगर पालिका, घाटोल	नगर परिषद्, बांसवाड़ा
42	बांसवाड़ा	प्रतापगढ़	नगर पालिका, दलोटे	नगर परिषद्, प्रतापगढ़

सूची अनुसार प्रभारी नगरीय निकाय द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों अनुरूप आवंटित नवसृजित नगर परिषद्/पालिका की कार्य योजना तैयार कर जिले की नोडल निकाय के माध्यम से जिला स्तरीय समन्वय समिति से अनुमोदित करवाया जाना है। तत्पश्चात् कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करवाकर विभागीय SoP के अनुसार सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति उपरांत वांछित दस्तावेज IRGY पोर्टल पर अपलोड कर कार्यों की मस्टररोल जारी कर नवसृजित नगरीय निकाय में योजना के क्रियान्वयन कि कार्यवाही की जानी है।


प्रभारी निकाय के नियमित कार्मिकों के द्वारा नियमानुसार योजनान्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों अनुसार नवसृजित निकायों हेतु कार्यों का चयन कर, कार्यों का तकमीना तैयार कर, सक्षम स्तर से तकनीकी जांच करवाकर, कार्य योजना तैयार करावें एवं कार्यों के अनुमोदन पश्चात व प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी होने के उपरांत मस्टररोल जारी करवाकर कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें तथा प्रतिदिन श्रमिकों की उपस्थिति पोर्टल पर इन्द्राज करवाकर पखवाड़ा समाप्ति के 15 दिवस में मस्टररोल/माप पुस्तिका पूर्ण/सत्यापित कर पोर्टल पर ऑनलाईन प्रविष्टि के माध्यम से बिल भुगतान की कार्यवाही करवाते हुए, आवंटित नवसृजित निकायों में कार्यों को संपादित करवाया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त प्रयोजनार्थ आपके जिले की निकायों में योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों यथा कनिष्ठ तकनीकी



सहायक, लेखा सहायक, एम.आई.एस. एवं रोजगार सहायक को नवसृजित नगरीय निकायों में अतिरिक्त रूप से उपयोग में लिया जा सकता है।

अतः उक्तानुसार आपके जिले में स्थित नवसृजित नगर परिषद्/पालिका में प्रभारी नगरीय निकायों के माध्यम से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्य क्रियान्वित करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

यह वित्त विभाग की आई.डी. सं. 17240303 दिनांक 27.02.2024 द्वारा अनुमोदित है।


(सुरेश कुमार आला)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
दिनांक: 27/02/2024

क्रमांक:एफ.56(क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2023-24/1264-1462

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त/आयोजना विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
6. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर, राजस्थान।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, जयपुर, राजस्थान।
8. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
9. सम्भागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
10. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
11. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार/परियोजना निदेशक, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
12. परियोजना निदेशक, (IRGY), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
13. सचिव भर्ती आयोग निदेशालय, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
14. संयुक्त निदेशक (जन सम्पर्क), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
15. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) एवं सिस्टम एनालिस्ट, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि उक्त से संबंधित समस्त प्रावधान IRGY पोर्टल पर करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
16. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, जिला स्तरीय नोडल नगरीय निकाय एवं कार्य संपादन हेतु बनायी गई प्रभारी नगरीय निकाय के मध्य समन्वयक कर नवीन नगरीय निकाय में कार्यों का क्रियान्वयन करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
17. संबंधित आयुक्त/अधिकाारी अधिकाारी, अधिकाारी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता एवं वित्तीय सलाहकार/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/लेखाकार, जिला स्तरीय नोडल नगरीय निकाय को निर्देशित किया जाता है कि योजना के पूर्व दिशा-निर्देशानुसार कार्य संपादन हेतु बनायी गई नोडल नगरीय निकाय से कार्यों का क्रियान्वयन करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

18. प्रभारी नगरीय निकायों के आयुक्त/उपायुक्त/अधिशायी अधिकारी, अधिशायी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता तथा वित्तीय सलाहकार/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/लेखाकार को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित नवसृजित नगरीय निकाय में कार्यों का क्रियान्वयन करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर जिला स्तरीय नोडल नगरीय निकाय के माध्यम से जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक को प्रस्तुत कर कार्यों/कार्य-योजना का अनुमोदन करवाया जाकर उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर कार्यों का क्रियान्वयन करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
19. स्टेट एम. आई. एस मैनेजर (IRGY), को पोर्टल पर अपलोड किये जाने बाबत।
20. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव